जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 11 / डी– 1461 दिनांकः– 30-9-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 82वीं बैठक दिनांकः 21.09.11 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		82:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 81वीं बैठक दिनांक 23.08.11 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 81वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**1. 81वीं बैठक दिनांक 23.08.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 81वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	7	82:2	चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या डी–5 / 22 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के विनिमय में चित्रकूट योजना का भूखण्ड संख्या 3 / 170 दिये जाने बाबत।	श्री हरिओम गुप्ता को भूखण्ड संख्या डी–5 / 22 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर चित्रकूट योजना में वर्ष 1996 में आवंटन किया गया था। उनके द्वारा मांग राशि दिनांक 08.10.1996 को जमा करवा दी गई थी। चित्रकूट योजना के रिकार्ड की जांच करने पर जिन भूखण्डों की पत्रावलियां जोन रिकार्ड में उपलब्ध नहीं पाई गई उनके संबंध में समाचार पत्रों में सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर भूखण्ड संख्या डी–5 / 22 को नीलामी से दिनांक 23.02.10 को निस्तारण कर दिया गया एवं क्रेता के पक्ष में लीजडीड जारी होकर मौके पर निर्माण कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा उसे आवंटित भूखण्ड संख्या डी–5 / 22 चित्रकूट योजना क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य समान माप का भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त द्वारा मौका देखकर विनिमय हेतु प्रस्तावित भूखण्ड मूल आवंटित भूखण्ड के समान माप का व समान चौडाई की सड़क पर स्थित होने के कारण चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या डी–5 / 22 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर श्री हरिओम गुप्ता को भूखण्ड सं. 3 / 170 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
3.	7	82:3	श्री मंगलचन्द पुत्र श्री केसर लाल को गिरधारीपुरा में भूखण्ड सं. बी–1ए के नियमन के संबंध में।	श्री मंगलचन्द पुत्र श्री केसर लाल को सर्वे न. 2516 मनोहरपुरा कच्ची बस्ती में होने के कारण दिनांक 22.10.04 को 9.5 वर्गगज क्षेत्रफल का आवंटन पत्र जारी किया हुआ है। मनोहरपुरा कच्ची बस्ती की रोड चौडी करने से प्रार्थी के पास 10 वर्गगज क्षेत्रफल से कम भूमि होने के कारण प्रार्थी ने गिरधारीपुरा पुनर्वासित के भूखण्ड सं. बी–1ए क्षेत्रफल 30' X 15' में निवास करना चालू कर दिया व उक्त भूखण्ड आवंटन की मांग की गई। इस योजना में अन्य व्यक्तियों को भी तत्कालीन आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर पुनर्वासित कर आवंटन किया गया है। अतः श्री मंगलचन्द पुत्र श्री केसर लाल को गिरधारीपुरा में भूखण्ड सं. बी–1ए क्षेत्रफल 30' X 15' वर्तमान आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

4.	13	82:4	राजस्व ग्राम–मानपुरा माचेडी, तहसील–आमेर में थाना चन्दवाजी के तहत ग्राम–मानुपरा माचेडी में स्वीकृत पुलिस चौकी को भूमि आवंटन करने बाबत।	ग्राम–मानपुरा माचेडी, तहसील–आमेर के खसरा नं. 3418 रकबा 1.58 है0 में से 1500 वर्गगज भूमि मानपुरा माचेडी, पुलिस चौकी के लिए आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को निःशुल्क आवंटन हेतु निवेदन किया जावे।
5.	6	82:5	श्री मूलचन्द सोनी पुत्र श्री मेवाराम सोनी आवास गृह सं. ए–327 मुरलीपुरा योजना आवास गृह के आवंटन हेतु।	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.03 की पालना में श्री मूलचन्द सोनी पुत्र श्री मेवाराम सोनी आवास गृह सं. ए–327 मुरलीपुरा योजना अन्य आवंटियो से ली गई कीमत 9000/–रू. पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	6	82:6	श्री राधेश्याम सोनी पुत्र श्री मेवराम सोनी आवास गृह सं. ए–134 मुरलीपुरा योजना आवास गृह के आवंटन बाबत।	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.05 की पालना में श्री राधेश्याम सोनी पुत्र श्री मेवराम सोनी आवास गृह सं. ए–134 मुरलीपुरा योजना अन्य आवंटियो से ली गई कीमत 9000/–रू. पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
7.	13	82:7	राजस्व ग्राम –जमवारामगढ़, तहसील–जमवारामगढ़ में मॉडल स्कूल हेतु 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने बाबत।	मॉडल स्कूल, जमवारामगढ़ हेतु ग्राम जमवारामगढ़ के खसरा नं. 543 में से 15 बीघा भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
8.	13	82:8	ग्राम पंचायत रोजदा को राजीव गांधी आई.टी. केन्द्र हेतु ग्राम रोजदा तहसील आमेर के ख.नं. 662/2 में से 1000 वर्गगज भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम पंचायत रोजदा को राजीव गांधी आई.टी. केन्द्र हेतु ग्राम रोजदा तहसील आमेर के ख.नं. 662/2 में से 1000 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
9.	5	82.8(1)	अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर खण्ड–।। (द) जयपुर को स्वेजफार्म क्षेत्र में पानी टंकी बनाने हेतु रूप विहार योजना के सुविधा क्षेत्र में निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर खण्ड–।। (द) जयपुर को स्वेजफार्म क्षेत्र में पानी टंकी बनाने हेतु रूप विहार योजना के सुविधा क्षेत्र की 3300 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
10.	14	82.8(2)	अभिनव विहार योजना में बाउण्ड्री से प्रभावित भूखण्डों के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय बाबत्।	अभिनव विहार योजना में शेष 8 भूखण्डधारियों को स्कूल व स्कीम बाउन्ड्री से प्रभावित होने के कारण प्रस्तावानुसार भूखण्ड़ विनिमय का निर्णय लिया गया।
11.	14	82.8(3)	रा.प्रा.वि. फिल्टर प्लान्ट ग्राम शिवदासपुरा के खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन बाबत्	राजकीय प्राथमिक विद्यालय फिल्टर प्लान्ट ग्राम शिवदासपुरा को खेल के मैदान हेतु खसरा नं. 1205 में से 0.81 है0 भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवदेन किया जावे।
12.	9	82.8(4)	रामनगरिया योजना के भूखण्ड संख्या बी–6 का बढा हुआ क्षेत्रफल आवंटन बाबत्।	बढ़ा हुआ 28.80 वर्गमीटर क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
13.	2	82.8(5)	भूखण्ड सं. 7ए–19 विधाधरनगर के स्थान पर विनिमय किये गये भूखण्ड सं. 4/388 में पति का नाम शुद्ध कराने बाबत।	सहवन से आवेदिका के पति का नाम भंवरी लाल शर्मा दर्ज हो गया था, जिसे शुद्ध कर बनवारी लाल अग्रवाल करने का निर्णय लिया गया।

14.	13	82.8(6)	स्वतंत्रता सैनानी की विधवा नारायणी देवी को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	स्वतंत्रता सैनानी स्व. श्री घीस्याराम गुर्जर की विधवा नारायणी देवी को राजभवन योजना में भूखण्ड सं. बी–205 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
15.	14	82.8(7)	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को चम्बल पावर हाउस की ली गई भूमि के बदले भूमि देने बाबत।	न्यू सांगानेर रोड से हवा सड़क लिंक रोड को जोडने के लिए जविप्रा द्वारा चम्बल प्रोजेक्ट सब स्टेशन पावर हाउस की ली गई 4196.80 वर्गमीटर के बदले जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को दुगनी भूमि दी जानी है। ग्राम बाडा पदमपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 116/1 रकबा 23.75 है0 में से 5 है0 भूमि दिये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता (आई एण्ड एस) द्वारा सहमति प्रदान की है। अतः उक्त 5 है0 भूमि में से 8393.60 वर्गमीटर भूमि चम्बल पावर हाउस की ली गई भूमि के बदले निःशुल्क व शेष 41606.40 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/ 3/95पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
16.	13	82.8(8)	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन लि0 को पूर्व में आरक्षित की गई 17139.63 वर्गमीटर भूमि निरस्त कर ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड के भूखण्ड सं. बी–1 को आरक्षित करने बाबत।	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन लि0 को भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 76वीं बैठक दिनांक 25.04.11 में ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड के भूखण्ड सं. 4 व 6 की 17000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई थी। उक्त भूमि जेसीटीएसएल के लिये उपयुक्त न होने के कारण आरक्षित की गई भूमि निरस्त करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड के ब्लॉक बी में टेलिफोन एक्सचेन्ज (6536.18 वर्गमीटर), पुलिस स्टेशन (4752.55 वर्गमीटर), फायर स्टेशन (4074.38 व.मी.) हेतु आरक्षित भूमि एवं इनके मध्य स्थित 18 मीटर रोड के 2652.45 वर्गमीटर क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए 1.8027 है0 भूमि जेसीटीएसएल हेतु पूर्व निर्धारित शर्तो पर उपयोग में लेने हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(एल.पी.सी.)
सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त एवं (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 82वी बैठक दिनांक 21.09.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:--

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सुण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री हरिन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
11.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
12.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
13.	श्री ताराचन्द मंगावा, तहसीलदार, जोन–12	विशेष आमंत्रित
14.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित